बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–4/कृ0शि0को0–24/2015– 4576 /कृ0, पटना, दिनांक 08-09-2015

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय : बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत योजना मद में स्वीकृत कृषि एवं उद्यान, महाविद्यालयों के लिए स्थापना से संबंधित वेतनादि के लिए वर्ष 2015–16 में कुल 2635.76 लाख रूपये (छब्बीस करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन सामान्य जाति के लिए 2187.69 लाख रूपये (इक्कीस करोड़ सत्तासी लाख उनहत्तर हजार रूपये) में से तत्काल 1705.21 लाख रूपये (सतरह करोड़ पाँच लाख इक्कीस हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत योजना मद में स्वीकृत कृषि एवं उद्यान, महाविद्यालयों के लिए स्थापना से संबंधित वेतनादि के लिए वर्ष 2015–16 में कुल 2635.76 लाख रूपये (छब्बीस करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन सामान्य जाति के लिए 2187.69 लाख रूपये (इक्कीस करोड़ सत्तासी लाख उनहत्तर हजार रूपये) में से तत्काल 1705.21 लाख रूपये (सतरह करोड़ पाँच लाख इक्कीस हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य में कृषि शिक्षा एवं शोध के विकास के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अधीन वीर कुँवर सिंह कृषि महाविद्यालय, भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया, मंडन भारती कृषि महाविद्यालय सहरसा एवं उद्यान महाविद्यालय नालंदा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गयी है। उक्त महाविद्यालयों के लिए स्थापना के वेतनादि मद में महाविद्यालयवार आवश्यकता निम्न प्रकार है,

(राशि लाख रू० में)

Sl. No	Description of Item	Requirement			
		V.K.S. Agri. College Dumraon	B.P.S. Agri. College Purnia	Hort. College Nalanda	M. B. Agri. College Saharsa
1	**Salary etc.**	331.96	373.53	535.48	258.46
2	Prize/Gift	3.55	3.55	3.55	3.55
3	Medical Reimbursement	5.70	5.70	5.70	5.70
4	T.A.	20.00	20.00	20.00	20.00
5	Office Expenses	25.80	25.80	25.80	25.80
6	Vehicle Running Expenses	7.00	7.00	7.00	7.00

7	Telephone	4.30	4.30	4.30	4.30
8	Electricity	1.80	1.80	1.80	1.80
9	Legal Expenses	10.60	10.60	10.60	10.60
10	Liveries	0.40	0.40	0.40	0.40
11	Printing & Publications	31.05	31.05	31.05	31.05
12	Visitors/Guests	22.60	22.60	22.60	22.60
13	Conference/Seminar	5.75	5.75	5.75	5.75
14	Material & Supplies	14.05	14.05	14.05	14.05
15	Minor Work & Repair	83.65	83.65	83.65	83.65
16	Implements & AMC	3.55	3.55	3.55	3.55
17	Business & Spl. Services	34.30	34.30	34.30	34.30
18	Grant-in-aid	3.55	3.55	3.55	3.55
19	GIS Claims	1.82	1.82	1.82	1.82
20	Work Man Compensation	4.62	4.62	4.62	4.62
	Total	**616.041**	**657.615**	**819.567**	**542.544**

3. उक्त महाविद्यालय के लिए विगत 5 वर्षों (2010–15) में विमुक्त की गयी राशि तथा व्यय का विवरण निम्न प्रकार है, (राशि लाख रू० में)

महाविद्यालय का नाम	विमुक्त राशि	व्यय राशि
उद्यान महाविद्यालय, नालंदा	3718.57	3718.57
मंडन भारती महाविद्यालय, सहरसा	3142.31	3142.31
भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया	7750.00	7745.40
वीर कुँवर सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमराँव	11067.57	11067.57
कुल	**25677.88**	**25673.85**

4. वर्ष 2013–14 तक विमुक्त राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त है। इन महाविद्यालय के लेखे का अंकेक्षण चार्टड एकाउंटेंट के द्वारा वर्ष 2014–15 तक किया गया है।

5. स्वीकृत राशि की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग द्वारा की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट से बिहार कृषि विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

6. उपरोक्त मदों का कार्यान्वयन बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

7. प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जा सकता है।

8. वर्ष 2015–16 में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित सभी योजनाओं का एकीकरण कर दिया गया है। अतः इस वर्ष में कृषि महाविद्यालय, डुमराँव, पूर्णियां, सहरसा एवं नालंदा के लिए अलग से बजट शीर्ष उपलब्ध नहीं है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित बजट शीर्ष के अनुसार उपबंधित राशि में से सहायक अनुदान विमुक्त किया जा सकता है।

9. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत 2187.69 लाख रूपये (इक्कीस करोड़ सत्तासी लाख उनहत्तर हजार रूपये) में से तत्काल 1705.21 लाख रूपये (सतरह करोड़ पाँच लाख इक्कीस हजार रूपये) का व्यय मुख्य शीर्ष– "2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01–फसल कृषि कर्म, लघु शीर्ष–277–शिक्षा, मांग सं०–1, उपशीर्ष–0108–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड–P2415012770108 राज्य योजना स्कीम कोड–AGR–5042 अन्तर्गत विषय शीर्ष 31 04 सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित 1717.84 लाख रूपये में से 946.54 लाख रूपये एवं विषय शीर्ष 31 06

सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित 943.17 लाख रूपये में से 758.67 लाख रूपये विकलनीय होगा।

10. व्यय के लिए स्वीकृत राशि 1705.21 लाख रूपये (सतरह करोड़ पाँच लाख इक्कीस हजार रूपये) की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा तुरंत कृषि महाविद्यालय/कार्यान्वयन एजेंसी को राशि विमुक्त की जायेगी। विश्वविद्यालय के द्वारा बजट में उपबंधित मदों के अनुसार राशि का व्यय किया जायेगा। मदवार व्यय में परिवर्तन की आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग से दिशा–निर्देश प्राप्त किये जा सकेंगे। विमुक्त राशि के विरूद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है तो इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार से स्वीकृत हैं।

11. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०–42 पर की जायेगी जिसके साथ बिहार कृषि महाविद्यालय से पूर्व प्राप्त रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

12. वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

13. विश्वविद्यालय स्वीकृत राशि की मदवार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र, महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजेगा एवं इसकी प्रतिलिपि कृषि विभाग को भी उपलब्ध करायेगा।

14. महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा। विश्वविद्यालय व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेगा तथा विहित अंकेक्षण दल को यथा समय उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।

15. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22.08.2015 को स्वीकृति संचिका संख्या–4/कृ0 शि0को0–24/2015 के पृ0सं0–21/टि. पर प्राप्त है। विभागीय माननीय मंत्री की स्वीकृति 15/टि० पर दिनांक: 04.08.2015 को प्राप्त है।

16. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 4/कृ0 शि0को0–24/2015 के पृ0सं0– 24 /टि. पर दिनांक– 31.08.2015 को प्राप्त है।

17. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभु राम)
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

C:\Documents and Settings\user\Desktop\Agri College_Purnea (2).doc

ज्ञापांक 4576 /कृ0, पटना, दिनांक 08-09-, 2015

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4576 /कृ0, पटना, दिनांक 08-09-, 2015

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4576 /कृ0, पटना, दिनांक 08-09-, 2015

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4576 /कृ0, पटना, दिनांक 08-09-, 2015

प्रतिलिपिः- उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी.पी.एम. (कृषि विभाग) बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बिहार/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/संयुक्त कृषि निदेशक (मु0), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग (मुख्यालय) के सभी संबंधित पदाधिकारी एवं योजना शाखा/बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।